

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 जुलाई 2013—आषाढ़ 10, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 10, शक 1935)

क्र. 14426-वि.स.-विधान-2013.—माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. (s) 4076 of 2013 पारसमल सकलेचा वि. हिम्मत कोठारी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24 जून 2013 द्वारा मान. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा चुनाव याचिका क्रमांक 6/2009 में पारित निर्णय दिनांक 12 अप्रैल 2013 के प्रवर्तन (Operation) पर सशर्त स्थगन जारी कर माननीय सदस्य श्री पारसमल सकलेचा (पारस दादा) को विधान सभा की चर्चा में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया है.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 13226-वि.स.-विधान-2013, दिनांक 21 जून 2013 जिसके द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 220—रतलाम सिटी को रिक्त घोषित किया गया था, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

राजकुमार पांडे,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.